

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 933

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

फिनटेक और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में पीएमआईएस को बढ़ावा दिया जाना

933. कैप्टन बृजेश चौटा:

श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा फिनटेक और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए पीएमआईएस के अंतर्गत कौन-कौन सी कार्यनीतियां कार्यान्वित की गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षु भावी रोजगार बाजार के रुझानों के अनुरूप प्रासंगिक अनुभव प्राप्त कर सकें;

(ख) इन पहलों की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट मैट्रिक्स का उपयोग किया गया है और क्या नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं का अंतिम लक्ष्य उनमें से एक है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार और क्षेत्रवार विशेषकर दक्षिण कन्नड़ में कितनी कंपनियों ने प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए पंजीकरण कराया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना (पीएमआईएस) की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की आरम्भ के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को इस योजना की एक पायलट परियोजना का आरम्भ किया है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख युवाओं को इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है।

पिछले 3 वर्षों में औसत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर चयनित शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में विमानन और रक्षा, ऑटोमोटिव, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, रासायनिक उद्योग, तेल, गैस और ऊर्जा आदि सहित बड़ी संख्या में विविध क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उभरते क्षेत्रों में इंटरनशिप को बढ़ावा देने के लिए, योजना दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि योजना में भाग लेने की इच्छुक कोई भी कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्थान कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से संपर्क कर सकता है, जो कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है। भागीदार कंपनियों की सूची <https://pminternship.mca.gov.in> पर उपलब्ध है।

पीएम इंटरनशिप योजना पायलट परियोजना के दिशा-निर्देशों में कार्यान्वयन, संचालन और अन्य पहलुओं की देखरेख के लिए उद्योग प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक निगरानी और संचालन समिति के गठन का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परिणामों की ट्रेकिंग के साथ-साथ सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन और लर्निंग (एमईएल) ढांचा भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) विभिन्न हितधारकों से फीडबैक एकत्र कर रहा है और योजना के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है क्योंकि इसे लागू किया जाना जारी है।
